संख्या-7/2024/ I/466860/2024/23-11099(099)/335/2023

प्रेषक,

राज कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 09/01/2024

विषयः- जनपद प्रतापगढ़ में संगम चौराहे से राजेन्द्र नगर तक बाईपास मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 3.000 किमी0 एवं चौड़ाई 3.00 मी0 से बढ़ाकर 5.50 मी0) कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-966नि/139-01नि/प्रतापगढ़/भाग 7/23, दिनांक 27-07-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फ्लाई ओवर निर्माण के नये कार्यो की योजनान्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में संगम चौराहे से राजेन्द्र नगर तक बाईपास मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 3.000 किमी0 एवं चौड़ाई 3.00 मी0 से बढ़ाकर 5.50 मी0) कार्य की विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 613.60 लाख (रूपये छः करोड़ तेरह लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 306.80 लाख (रूपये तीन करोड़ छः लाख अस्सी हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	जनपद का नाम/खण्ड	कार्य का विवरण	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	प्रतापगढ़/नि0ख0-1	जनपद प्रतापगढ़ में संगम चौराहे से राजेन्द्र नगर तक बाईपास मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 3.000 किमी0 एवं चौड़ाई 3.00 मी0 से बढ़ाकर 5.50 मी0) का कार्य।	613.60	306.80

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय ।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय। परियोजना में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टयां करने से पूर्व व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाय। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा)) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित के शासनादेश सं0-ए-2-1606 /दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा

निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री दवारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054 सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियाँ-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।

(7) परियोजना को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से बैठक में निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करना व भविष्य में परियोजनाओं को पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि नियमानुसार भुगतान किया जायेगी।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(10) परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अन्तर्गत कराया जाय।

(11) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता की दशा में भूमि अधिग्रहण की अनुमन्य व स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा संगत व प्रभावी नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जायेगी।

(12) परियोजना के संबंध में मुख्य अभियंता एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा अवगत कराये गये सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना की पृथक रूप से लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। अत: परियोजना पर पृथक रूप से सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। इस संबंध में विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(15) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(16) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। अत: परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनिकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(17) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है। उक्त विषयों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्यो आदि का प्राविधान करना, मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई/क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन, अन्य विशिष्टियां, आर0ई0वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि विभागीय व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति/भूमि अर्जन की कार्यवाही सी0ए0एल0ए0 (Competent Authority for Acquisition) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(19) विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा, जिसका उत्तरदायितव कार्यदायी संस्था का होगा।

(21) प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग होने की स्थिति में कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण व अन्य संबंधित कार्यो में व्यवधान उत्पन्न हो तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की पुन: आवश्यकता न हो। युटिलिटी शिफ्टिंग के कार्यो के क्रियान्वयन से पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रस्तावित कार्यो का Verification & revalidation कराते हुये कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। यूटिलिटी शिफ्टिंग संबंधी कार्यो हेतु भविष्य में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।

(22) विद्युत विभाग से संबंधित यूटिलिटी शिफ्टिंग सम्मिलित है, तो निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत विभाग से सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाये।

(23) विद्युत विभाग की यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य एन0एच0ए0आई0 के मानकों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(24) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(25) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(26) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियंता (मु0-1) व संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली संबंधित क्षेत्रीय अभियंताओं के वेतन से किया जायेगा।

(27) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(28) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियंता(मु0-1) एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 3,06,80,000.00 (रूपये तीन करोड़ छः लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक-5054043378500 शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फ्लाई ओवर के निर्माण के नये कार्यो की व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-973-X-2023-24, दिनांक 02-01-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन|
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन|
12- राज्य योजना आयोग- 1/2, उ0प्र0 शासन ।
13- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन ।
15- नोडल अधिकारी (ऑन लाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन|
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
उप सचिव।